सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 02, बुधवार, *शाके* 1945-फरवरी 21, 2024 *Phalguna 02 Wednesday , Saka 1945- February 21 , 2024*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 06, 2024

जी.एस.आर.167 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल,राजस्थान सिविल सेवा (परियोजना निदेशकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक(रो.गा.स्की.), अधिशाषी अभियंताओं और परियोजना अधिकारियों का विशेष चयन और उनकी सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 1975 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं,अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल सेवा (परियोजना निदेशकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (रो.गा.स्की.), अधिशाषी अभियंताओं और परियोजना अधिकारियों का विशेष चयन और उनकी सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) नियम,2024 है।

(2) ये 01.01.2017 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. अनुसूची-II का संशोधन.- राजस्थान सिविल सेवा (परियोजना निदेशकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (रो. गा.स्की.)), अधिशाषी अभियंताओं और परियोजना अधिकारियों का विशेष चयन और उनकी सेवा की विशेष शर्तें))नियम, 1975 से संलग्न अनुसूची-**II** में विद्यमान शर्त 1 और 2 और उनकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"1. वेतनमान.-अनुसूची- **I** में उल्लिखित पद पर नियुक्त होने पर अधिकारी/ पदधारी वही वेतन आहरित करेगा/करेगी जो वह नियुक्ति (अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत में) के ठीक पूर्व विद्यमान पद के लिए विहित राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के अधीन वेतन मैट्रिक्स में के वेतन लेवल में आहरित कर रहा था/रही थी। वेतनवृद्धि की अगली तारीख अपरिवर्तित रहेगी।

2. विशेष भत्ता.- अनुसूची-**I** के स्तंभ 2 में उल्लिखित पदों पर नियुक्त समस्त अधिकारियों को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में उनकी सेवावधि के दौरान राजस्थान सिविल सेवा

(पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के अधीन वेतन मैट्रिक्स में के वेतन लेवल में मूल वेतन के 7% की दर से विशेष भत्ता संदत्त किया जायेगा।

अपवाद:- इस नियम के प्रयोजन के लिए स्थानापन्न वेतन से नियमित भर्ती के पश्चात् विद्यमान पद पर स्थानापन्न हैसियत में आहरित वेतन अभिप्रेत है और इसमें तदर्थ या अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर अथवा छुट्टी के कारण हुई रिक्ति के पेटे या पूर्णत:अस्थायी आधार पर आहरित वेतन सम्मिलित नहीं होगा।"

[सं. एफ 5(12)डीओपी/ए-।।/74 पार्ट]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,
जय सिंह,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, February 06, 2024

G.S.R.167 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Civil Services (Special Selection and Conditions of Service of Project Directors, Chief Executive Officers, Additional Chief Executive Officers, Additional District Programme Coordinator (EGS), ExecutiveEngineers and Project Officers) Rules, 1975, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Special Selection and Conditions of Service of Project Directors, Chief Executive Officers, Additional Chief Executive Officers, Additional District Programme Coordinator (EGS), Executive Engineers and Project Officers)(Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 01.01.2017.

2.Amendment of Schedule-II.- In Schedule-II appended to the Rajasthan Civil Services (Special Selection and Conditions of Service of Project Directors, Chief Executive Officers, Additional Chief Executive Officers, Additional District Programme Coordinator (EGS), Executive Engineers and Project Officers) Rules, 1975, the existing condition 1 and 2 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"1. **Scale of Pay.-** On appointment to the post mentioned in Schedule-I, the Officer / Official shall draw the same pay, which he / she was drawing immediately before appointment (in the substantive or officiating capacity) in the Pay Level in the Pay Matrix under the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017 prescribed for the existing post. The next date of increment shall remain unchanged.

2. **Special Allowance.-**All officers appointed on the posts mentioned in column 2 of Schedule-I, shall be paid special allowance at the rate of 7% of the basic pay drawn in the Pay Level in the Pay Matrix under the Rajasthan Civil Services

(Revised Pay) Rules, 2017 during their tenure in the Rural Development and Panchayati Raj Department.

Exception: The officiating pay for the purpose of this rule shall mean pay drawn in officiating capacity in the existing post after regular recruitment and shall not include pay drawn on ad-hoc or urgent temporary basis or on account of leave vacancy or purely as a temporary basis."

[No. F. 5(12)DOP/A-II/74 Part]
By order and in the name of the Governor,
JAI SINGH,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.